



बिहार सरकार

समाहरणालय, खगड़िया

ई-मेल :- dm-khagaria.bih@nic.in,

generalsectionkhagaria@gmail.com

वेबसाईट :- <https://khagria.nic.in>

दूरभाष :- 06244-222135



(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति को आयुध अधिनियम, 2016 की धारा 47 (1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है तथा उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को उनके नाम के सामने उल्लेखित प्रतिष्ठान में जमा करने का आदेश दिया जाता है।

क्र 0	आवेदक/अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार एवं संख्या	जमा करने वाले प्रतिष्ठान का नाम
1	2	3	4	5
1	दीपक कुमार अकेला, पे0-स्व0 उपेन्द्रनाथ यादव, साकिन+थाना-अलौली, जिला-खगड़िया	3/1970 (अलौली थाना)	बन्दूक सं0 - $\frac{1579}{1430}$	मे0 डिलक्स आर्म्स को0, खगड़िया

संबंधित मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित को आदेश किया जाता है कि अविलम्ब संबंधित संस्थान में शस्त्र जमा करें एवं उसके उपरान्त जमा करने का प्राप्ति रसीद की प्रति के साथ मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त जिला शस्त्र दण्डाधिकारी को आदेश किया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

6/10/20
जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-03/2020..... 626...../जी0, दिनांक 06/10/2020.....

प्रतिलिपि :- संबंधित आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, अलौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मे0 डिलक्स आर्म्स को0, शिवाला रोड, विश्वनाथगंज, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

6/10/20
जिला दण्डाधिकारी,